सरकार को अवमानना पुरस्कार...

प्रमाणित प्रति मिलने से पहले ही न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त करने की फाइल राजभवन भेज दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने सूची के पांच नामों में किसे नियुक्त किया यह महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण यह है कि किस आधार पर क्या तथ्य पांचों नामों के बारे में उसके समक्ष थे जिनके मूल्यांकन के बाद एक नाम पर टिक किया। यहां यह स्पष्ट करना जरुरी है कि यह प्रश्न इसलिए नहीं उठ रहा है कि न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह जो सरकार की पहली पसन्द थे का चयन होने पर उठ रहा है बल्कि यह प्रश्न तब भी उठता जब पांच में से किसी एक अन्य नाम पर टिक लगता क्योंकि 10 मिनट में पांचों के बारे में कैसे सबकुछ जांच परख लिया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस नियुक्ति से वर्तमान लोकायुक्त भी खुश नहीं नजर आये उनकी पहली प्रतिक्रिया थी 'सरकार जो चाहती थी सुप्रिम कोर्ट ने कर दिया।'

जहां तक इस केस में पूर्ण न्याय की बात है पूर्ण न्याय तो तब होता जब पहले कोर्ट आर्डर की अवहेलना करने वालों को कठोरतम दण्ड

अनुच्छेद 142-उच्चतम न्यायालय को उसके समक्ष आने वाले मामलों में पूर्ण न्याय की बात करता है....

"(1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order1 prescribe."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने चन्द्रकांत पाटिल बनाम राज्य द्वारा सी0बी0आई0 रिपोर्टेड AIR 1998 SC 1165 में पैरा 13 में कहा है "We are aware that powers under article 142 are not to be exercised frequently but only sparingly...."

In Arjun Khiamal V/s Jamnadas Reported in (1989) 4 SCC 612 (Para 11) "11. It was then urged by the learned Counsel for the tenants that notwithstanding the provisions contained in Section 12(3)(a) of the Act, this Court can still grant relief to the tenants in view of the power conferred on it under Article 142 of the Constitution "for doing complete justice" in the case. Reliance in support of this submission has been placed on Smt. Kamala Devi Budhia and Ors. v. MANU/ SC/ 0510/ 1989, *Hem Prabha Gangucli and Ors.* [1989]2SCR970 . This submission ignores the basic concept that Article 142 does not contemplate doing justice to one party by ignoring mandatory statutory provisions and thereby doing complete injustice to the other party by depriving such party of the benefit of the mandatory statutory provision. ...."

In M.C. Mehta V/s Kamal Nath Reported in (1998) 6 SCC 213.

"19. The contention that the notice should be treated to have been issued in exercise of power under Article **142** of the Constitution cannot be accepted as this Article cannot be pressed into aid in a situation where action under that Article would amount to contravention of the specific provisions of the Act itself. A fine is to be imposed upon the person who is found guilty of having contravened any of the provisions of the Act. He has to be tried for the specific offence and then on being found guilty, he may be punished either by sentencing him to undergo imprisonment for the period contemplated by the Act or with fine or with both. But recourse cannot be taken to Article **142** to inflict upon him this punishment.

20. The scope of Article 142 was considered in several decisions and recently in Supreme Court Bar Association v. Union of India MANU/SC/ 0291/1998, [1998] 2SCR795 , by which the decision of this Court in V.C. Mishra Re MANU/ SC/0471/199, 1995 Cri LJ3994, was partly overruled, it was held that the plenary power of this Court under Article **142** of the Constitution are inherent in the Court and are "COMPLEMENTARY" to those powers which are specifically conferred on the Court by various statutes. This power exists as a separate and independent basis of jurisdiction apart from the statutes. The Court further observed that though the powers conferred on the Court by Article **142** are curative in nature, they cannot be construed as powers which authorise the Court to ignore the substantive rights of a litigant. The Court further observed that this power cannot be used to "supplant" substantive law applicable to the case or cause under consider-ation of the Court. Article **142**, even with the width of its amplitude, cannot be used to build a new edifice where none existed earlier, by ignoring express statutory provisions dealing with a subject and thereby achieve something indirectly which cannot be achieved directly.

21. Similarly, in M.S. Ahlawat v. Union of India and Anr. (State of Haryana?) MANU/SC/0687/1999, 2000CriLJ388 , it was held that under Article **142** of the Constitution, the Supreme Court cannot altogether ignore the substantive provisions of a statute and pass orders concerning an issue which can be settled only through a mechanism prescribed in another statute. ..."

घटनाक्रम

15.3.12	तक लोकायुक्त का कार्यकाल था 15.03.2012 उ0प्र0 सरकार ने शपथ लेने के तुरन्त बाद पहली कैबिनेट बैठक कर कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने तथा नया न नियुक्ति होने पर वर्तमान के कार्य करते रहे का अध्यादेश लायी जो राज्यपाल का एसेंट न मिलने से प्रभावहीन हो गया। और वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल समाप्त।
18.3.12	दूसरा अध्यादेश जारी अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर लगी।
22.3.12	असाधरण गजट मेंअध्यादेश प्रकाशन।
6.7.12	संशोधित अधिनियम को राज्यपाल की मंजूरी जिसकी वैधता को उच्च/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी।
24.4.14	उच्चतम न्यायालय ने लोकायुक्त के दो वर्ष के कार्यकाल को समाप्त होने के बाद अपना निर्णय सुनाया जिसमें नये लोकायुक्त को 6 माह में नियुक्त करने का प्रयास करने के लिए कहा था।
20.1.15	समय समाप्त होने के बाद अवमानना याचिका 70 सन् 2015 दाखिल हुई।
5.2.15	को चयन समिति ने उच्च न्यायालय में कार्यरत जज का नाम प्रस्तावित करके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगा जिसे उन्होंने देने से इन्कार किया।
30.4.15	को याचिका 301 सन् 2015 उच्चतम न्यायालय में दाखिल नोटिस जारी।
23.7.15	अवमानना याचिका में पुनः 30 दिन में कार्रवाई पूरी करने का आशा व अपेक्षा की।
5.8.15	सरकार ने पुनः न्यायमूर्ति रवीन्द्र सिंह यादव का नाम राज्यभवन भेज दिया।
6.8.15	राजभवन से फाइल वापस
7.8.15	सरकार ने राजभवन फिर फाइल भेजी फिर वापस
19.8.15	सरकार ने हठवादिता दिखाते हुए तीसरी बार रविन्दर सिंह की फाइल भेजी।
21.8.15	राज भवन से फाइल इस टिप्पणी के साथ वापस कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सहमति नहीं।
22.8.15	सर्वोच्च न्यायालय की समय सीमा समाप्त रात को फाइल राजभवन भेजी।
25.8.15	सहमति के अभाव में फाइल पुनः राज भवन से वापस
27.8.15	सरकार ने दबंगई दिखाते हुए विधा सभा में एक बार पुनः लोकायुक्त नियुक्ति संशोधन विधेयक पास कर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका ही समाप्त कर दी।
31.8.15	इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु भेजा अभी पेन्डिग है।
18.9.15	न्यायमूर्ति रविन्दर सिंह ने अपना नाम स्वयं वापस लिया।
27.9.15	चयन समिति की बैठक ने मुख्य न्यायाधीश ने संशोधन विधेयक पेडिंग रहते पुरानी प्रक्रिया के तहत चयन पर विधिक राय लेने को कहा।
25.11.15	राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नियुक्ति के लिए रिमाण्डर भेजा।
4.12.15	दूसरी अवमानना याचिका 733 सन् 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी।
14.12.15	उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए दो दिन बाद लिस्ट करने का आदेश दिया तथा कहा कि तबतक नियुक्ति करें।
16.12.15	उ.प्र. सरकार द्वारा कपिल सिब्बल इंगेज
12:20 बजे	सुनवाई शुरु सरकार ने शाम तक समय मांगा।
12:30 बजे	कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए सरकार से नाम मांगे।
12:40	न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह की नियुक्ति का आदेश पारित

जो काम राज्य सरकार पिछले 20 महीने में मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश से नहीं करा पायी उच्चतम न्यायालय से 10 मिनट में कर दिया।